

प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 60 / 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण “विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न ‘लेयर्स की अनबंडलिंग’ करने में सक्षम बनाने” के संबंध में परामर्श पत्र जारी करता है।

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज “विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न ‘लेयर्स की अनबंडलिंग’ करने में सक्षम बनाने” के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) ने दिनांक 08 मई 2019 के अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ— साथ सूचित किया कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 अपने ‘प्रोपेल इंडिया’ मिशन के तहत, ‘निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग और विनियामक व्यवस्था में सुधार’ के रूप में एक कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। अंतर्लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों (जैसे, बुनियादी ढांचे, नेटवर्क, सेवाओं और आवेदन परत) को शामिल करना उपरोक्त कार्यनीति को पूरा करने के लिए कार्य योजनाओं में से एक है। दिनांक 08 मई, 2019 के उक्त पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने, अन्य बातों के साथ साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, यथा संशोधित, की शर्तों के तहत अंतर लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों को अनबंडलिंग में सक्षम बनाने के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करे।

3. इससे पहले, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को “अंतर लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों के अनबंडलिंग को सक्षम बनाने” पर एक पूर्व परामर्श पत्र के माध्यम से लाइसेंस को अनबंडलिंग के लिए व्यापक ढांचे के बारे में हितधारकों से जानकारी मांगी थी।

4. पूर्व— परामर्श पत्र पर अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों और आंतरिक विश्लेषण पर हितधारकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, “अंतर लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने” पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां हितधारकों से क्रमशः दिनांक 17 सितंबर, 2020 और दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं।

5. टिप्पणियों को अधिमानत: इलेक्ट्रानिक स्वरूप में **advmn@trai.gov.in** पर भेजें। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से दूरभाष नम्बर +91-11-23210481 पर संपर्क कर सकते हैं।

ह/-

(एस0 के0 गुप्ता)

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।